[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या **52** /2018- सीमा शुल्क (एडीडी)
नई दिल्ली, दिनांक **15** अक्तूबर, **2018**

सा.का.नि. (अ)- जहां कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।, खण्ड 1, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 में प्रकाशित अधिसूचना सं0. 7/19/2017-डीजीएडी दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 के तहत नामित प्राधिकारी ने भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना सं0. 58/2012-सीमाशुल्क(एडीडी), दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 के तहत अधिरोपित कोरिया पीआर और इज़राइल,(एतशिमन पश्चात् विषयक देश के रूप में संदर्भित) में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आने आने वाले " फ्थेलिक एनहाइड्राइड " (एतश्मिन पश्चात् विषयक देश के रूप में संदर्भित) के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क की निरन्तरता के मामले में सीमाशुल्क टैरिफ (पाटन वस्तुओं की पहचान, उन पर कर निर्धारण और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुसरण में और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), (एतश्मिन पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार सनसैट समीक्षा की शुरूआत की थी ।

और जहाँ कि, केन्द्र सरकार ने, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 56/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 दिसम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1538 (अ), दिनांक 21 दिसम्बर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 सहित और इस तिथि तक विषयगत देशों में उद्भूत और वहां से निर्यातित इस विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने की अवधि को बढ़ाया था;

और जहाँ कि, विषयगत देश में उद्भूत और वहां से निर्यातित विषयगत माल के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **I**, खण्ड1, दिनांक 13 सितम्बर2018 में प्रकाशित अधिसूचना सं0. फा. सं0.7/19/2017-डीजीएडी दिनांक 13 सितम्बर, 2018 के तहत प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षोंमें पदनामित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि:

> 'घरेलू उद्योग लगातार क्षति का सामना नहीं कर रहा था; वास्तव में, घरेलू उद्योग ने भी ऐसा करने का दावा नहीं किया था । मुद्दा -पीयूसी के पाटन की संभावना और प्रतिपाटन शुल्क की अवधि समाप्त होने पर परिणामी क्षति का था । इस संबंध में डीए ने नोट किया है कि भारत में पीयूसी के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक, जिसने इस जांच के साथ पूरी तरह से सहयोग किया था, प्रतिपाटन शुल्क का सामना किए बिना निर्यात कर रहा था और डीआई को कोई क्षति पहुंचाता भी नहीं देखा गया था । इसके और अन्य निर्यातकों के पास पर्याप्त निर्यात अवसर थे; निर्यात की कीमत वैश्विक स्तर पर एक गतिशील बाजार इंगित करती है; मूल्य प्राप्ति के साथ भारत में प्राप्त होने के विपरीत नहीं है । कहीं और किसी भी महत्वपूर्ण क्षमता में वृद्धि का कोई सबूत नहीं था, जो साक्ष्य को भारत में आयात में आने वाले प्रवाह का सबूत दे सकता है ',

और तदनुसार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटन वस्तुओं की पहचान, उन पर कर निर्धारण और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 14(ख) के अनुसरण में कोरिया पीआर, ताइवान और इज़राइल में उद्भूतऔर वहां से निर्यातित ' फ्थेलिक एनहाइड्राइड ' के आयातों पर विद्यमान प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की अनुशंसा नहीं की है ।

अत: अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित, उक्त सीमा

शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 58/2012, सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 दिसम्बर, 2012, जिसे सा.का.नि. 924 (अ), दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 के तहत इस तरह के बचाव से पहले किए गए कार्यों को छोड़ दिया या छोड़ दिए गए सम्मान के अलावा, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित करती है ।

(फाइल संख्या 354/206/2012-टीआरयू (पार्ट. **III**))

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार